राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

ऋण स्वीकृति हेतु नियम व शर्तें

1.0 समझौता

1.1 ऋण की किस्त जारी करने से पहले, उधारकर्ता एक समझौता ज्ञापन (एमओए) निष्पादित करेगा, राष्ट्रीय राजाधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, जो इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जायेगा, ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। साथ ही ऋण स्वीकृति की तिथि के 30 दिन के भीतर आवश्यकतानुसार अन्य सभी दस्तावेज जमा करना। हालाँकि, मामले में यदि उधारकर्ता वैध कारणों के साथ 30 दिनों की समाप्ति से पूर्व आवेदन करता है तो बोर्ड समय विस्तार देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.0 ब्याज की दर

2.1 उधारकर्ता उक्त ऋण पर प्रत्येक संवितरण की तिथि को प्रचलित ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। ब्याज की वर्तमान दर .....% (प्रोत्साहन और छूट के बिना) है। चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण किस्तों (मूलधन और ब्याज) के समय पर भुगतान के लिए ब्याज दर में कमी के रूप में कुल 0.25% का प्रोत्साहन उपलब्ध होगा। बोर्ड के पक्ष में ब्याज बोर्ड द्वारा जारी किए गए चेक की तारीख से उपार्जित होना शुरु हो जाएगा। ब्याज की किस्त वार्षिक रूप से देय होगी और बोर्ड द्वारा संवितरण की तिथि से उपार्जित होगी तथा प्रत्येक वर्ष वर्षगांठ की तिथि पर देय होगी। देय ब्याज की राशि की गणना भुगतान की देय तिथि से ठीक पहले की तारीख तक लागू दर पर की जाएगी। ब्याज की गणना 365 दिनों के कारक का उपयोग करके दैनिक आधार पर की जाएगी।

2.2 इसके अलावा ऊपर कही गई किसी भी बात के बावजूद, बोर्ड उधारकर्ता को संशोधन की लिखित पूर्व सूचना देकर ऋण राशि या उसके भाग जिसका वितरण नही किया गया, पर ब्याज की दर को संशोधित करने का अधिकार व स्वतंत्रता रखता है। इस उद्देश्य के लिए, परियोजना स्वीकृति व निगरानी समूह द्वारा परियोजना के अनुमोदन की तिथि पर ऋण की ब्याज दर 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित दरों से जुड़ा होना चाहिये और बोर्ड का और ब्याज़ दरो में कोई संशोधन नहीं होगा जब तक 50 बेसिस प्वॉइंट की बढ़त ना हो। बोर्ड, हालांकि, ऋण राशि पर ब्याज की दर को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वृद्धि 50 से अधिक अंक है। संशोधित दर इस तरह की तारीख से प्रभावी होगी जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए। यदि, उधारकर्ता संशोधित दर से सहमत नहीं है, तो उधारकर्ता के पास पूर्व-भुगतान शुल्क के साथ संपूर्ण ऋण राशि का भुगतान करने का विकल्प होगा।

3.0 ऋण का पुनर्भुगतान

3.1 ऋण उधारकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष आहरण की वर्षगांठ की तारीख या उससे पहले परिशिष्ट-I में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऋण का भुगतान किया जाएगा।

4.0 दंड, पूर्व-भुगतान शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, आदि

4.1 उधारकर्ता द्वारा नियत तिथि पर पूर्वगामी खंड में दिए गए वाक्यांश अनुसार ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में उधारकर्ता बोर्ड को 2.75% के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा जो ऋण की नियत ब्याज दर के ऊपर होगा जैसा कि परिशिष्ट-1 में उल्लेख किया गया है।

4.2 सामान्य परिस्थितियों में बोर्ड किसी परियोजना हेतु जारी ऋण (प्रस्तावित पूर्व भुगतान की तिथि तक) का 25% से अधिक का प्रीपेमेंट स्वीकार नहीं करेगा। यदि, उधारकर्ता एक या अधिक किस्तों के आहरण के बाद ऋण का प्रीपेमेंट करने का निर्णय करता है तो उधारकर्ता को मूल बकाया ऋण राशि का 1% पूर्व भुगतान शुल्क देना होगा। परियोजना की अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रीपेमेंट स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा ऊपर कही गई किसी भी बात के बावजूद, यह निर्धारित किया जाता है कि मुकदमेबाजी के मामलों के लिए या जहां परियोजना समय से पहले पूरी हो गई है और उधारकर्ता के पास भारी नकदी प्रवाह है तो पीएसएमजी मामले दर मामले के आधार पर 25% से अधिक पूर्व भुगतान को स्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।

4.3 उधारकर्ता सभी लागतों, शुल्कों, खर्चों, हानियों और अन्य धन की मांग पर भी भुगतान करेगा, जो बोर्ड द्वारा या उधारकर्ता से या उसके आदेश को धन की प्राप्ति / प्राप्ति के संबंध में, या रक्षा के संबंध में और / या समझौते के ज्ञापन और / या गारंटी डीड और या प्रश्नगत ऋण के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज में बोर्ड के अधिकारों को लागू करने के संबंध में खर्च किया गया हो। इन पर खर्च होने वाली राशि / हानि के संबंध में बोर्ड का निर्णय, अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

4.4 ऋण राशि का आहरण न करने पर और विलंबित आहरण पर प्रतिबद्धता प्रभार होगा। तदनुसार किश्त के रूप में मंजूरी के बाद ऋण के गैर-आहरण और/या विलंबित आहरण पर प्रति वर्ष 0.05% की दर से प्रतिबद्धता शुल्क लगाया जाएगा। प्रतिबद्धता शुल्क ऋण स्वीकृति के बाद ही लगाया जाएगा और यह स्वीकृति आदेश के अनुसार, सड़क परियोजनाओं के मामले में किश्त की देय तिथि से छह महीने के बाद और अन्य मामलों में उसी के एक वर्ष के बाद लगाया जाएगा।

5.0 उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि का विनियोजन

5.1 उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया गया धन निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगाः

क) लागत, शुल्क, व्यय, हानि, लागू कर, वैधानिक शुल्क और अन्य धन,

ख) लागत, शुल्क, व्यय, हानि, लागू कर, वैधानिक शुल्क और अन्य धन पर ब्याज,

ग) दंडात्मक ब्याज,

घ) ब्याज,

ड) बकाए की घटनाक्रम में मूल धन की चुकौती; और

च) मूलधन का पूर्व भुगतान।

6.0 सभी भुगतान नई दिल्ली में सममूल्य पर वसूली योग्य होंगे

6.1 उधारकर्ता ऐसी व्यवस्था करेगा कि बोर्ड को देय राशि प्रासंगिक भुगतान की देय तिथि पर बोर्ड द्वारा नई दिल्ली में वसूली योग्य हों।

6.2 यदि मानक देय तिथि शनिवार, रविवार या सार्वजनिक अवकाश पर पड़ती है, तो अगले कार्यदिवस पर किए गए भुगतान को देय तिथि पर भुगतान माना जाएगा और उस दिन या दिनों के लिए कोई ब्याज / दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा जिन पर वसूली स्थगित की जाती है।

7.0 पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों का अनुपालन

7.1 उधारकर्ता एनसीआरपीबी के दिनांक 23.06.2023 के परिपत्र के अनुसार प्रसारित एनसीआरपीबी के पर्यावरण और सामाजिक दिशानिर्देशों का पालन करेगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट / प्रमाण पत्र तैयार कर जमा करेगा।

7.2 उधारकर्ता पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा कानूनों, नियमों, विनियमों, नीतियों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन करेगा।

8.0 गारंटी और सुरक्षा

8.1 एनसीआरपीबी नियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार (100% से कम नहीं) या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (ऋण राशि का 133.33% से कम नहीं) द्वारा ऋण की मूलधन के पुनर्भुगतान, देय ब्याज, उस पर सेवा शुल्क, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान जैसे कि रिकॉल शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क और आस्थगन शुल्क (यदि लागू हो) के संबंध में पूरी तरह, बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से गारंटी दी जाएगी। राज्य सरकार या पूर्वोक्त बैंकों में से कोई भी इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गारंटी डीड/गारंटी बांड निष्पादित करेगा।

अथवा

परिसम्पत्तियों पर प्रभार

I उक्त ऋण सभी ब्याज (दंड ब्याज सहित), लागत, खर्च और समझौते के ज्ञापन में निर्धारित की गई अन्य धनराशि निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित की जाएगी:

क) एक पहला शुल्क, बंधक के संदर्भ में निर्धारित सीमा तक बोर्ड के पक्ष में अचल संपत्तियां;

तथा

ख) बोर्ड के पक्ष में अनुमानित, एक पहला शुल्क, उधारकर्ता की चल संपत्ति (पुस्तक ऋण को छोड़कर) जैसे चल (चलायमान) मशीनरी, मशीनरी पुर्ज़े, उपकरण और सामान, ईंधनस्टॉक, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परियोजना स्थलों (_____) पर रखे हुए पुर्ज़े और सामग्री ।

बोर्ड की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता इनके गुणों का एक अच्छा विपणन योग्य शीर्षक बना दे और इस तरह की सभी औपचारिकताओं का पालन करना जैसा भी उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।

II **अतिरिक्त सुरक्षा का निर्माण :** उधारकर्ता यह वचन देता है कि यदि, इस समझौते के निर्वाह के दौरान किसी भी समय, बोर्ड को लगता है कि उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा ऋण की शेष राशि को कवर करने मे अपर्याप्त है, तो उधारकर्ता बोर्ड को ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा जो इस तरह की कमी को पूरा करने के लिए बोर्ड को स्वीकार्य हो।

III **प्रभार पंजीकरण:** उधारकर्ता कंपनी अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के साथ पंजीकृत होने के लिए प्रभार का विवरण प्रस्तुत करेगा और उसे निर्धारित समय के भीतर पंजीकृत करवाएगा। इस आवश्यकता के अनुपालन में, उधारकर्ता आरओसी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जो पंजीकरण / प्रभार के पंजीकरण को प्रमाणित करेगा।

और/या

उधारकर्ता के पास अंग्रेजी गिरवी के मामले में सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के साथ पंजीकृत होने वाले चार्ज का विवरण होगा।

8.2 उधारकर्ता एनसीआरपीबी की संतुष्टि के लिए ऋण की संपूर्ण पेंडेंसी के लिए एक एस्क्रो खाता खोलेगा, यदि एनसीआरपीबी द्वारा इसकी मंजूरी शर्तों में आवश्यक हो। ऐसे मामलों में एस्क्रो तंत्र पूरी तरह से उधारकर्ता द्वारा लागू किया जाएगा।

9.0 लेखा और लेखा परीक्षा का रखरखाव

9.1 उधारकर्ता को एनसीआरपीबी योजना के संबंध में उचित अलग खाते और अन्य रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे ताकि प्रत्येक परियोजना पर व्यय के प्रवाह, प्रवाह और उपयोग की पहचान की जा सके। यदि आवश्यक हो तो बोर्ड इन अभिलेखों को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10.0 व्यय का नियंत्रण:

स्वीकृत ऋण और उनके निपटान में रखे गए विनियोगों के विरुद्ध व्यय के नियंत्रण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां जिम्मेदार होंगी। राज्य सरकार वित्तीय औचित्य के उचित मानकों का पालन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो और जिस उद्देश्य के लिए धन उपलब्ध कराया गया हो उसी के लिए हो तथा व्यय सार्वजनिक हित में हो।

11.0 वस्तुओं और सेवाओं की खरीद:

उधारकर्ता पैसे के सर्वोत्तम मूल्य को सुरक्षित करने के लिए खरीद प्रक्रिया, निविदा मूल्यांकन और अनुबंध पुरस्कार में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और मनमानी को समाप्त करना सुनिश्चित करेगा।

राज्य सरकारें परियोजना के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में परियोजना के पूरा होने तक प्रणाली में दक्षता, मितव्ययिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगी।

12.0 निरीक्षण

12.1 बोर्ड इस ऋण और इसके उद्देश्यों से संबंधित रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए अपने अधिकारियों/नामितों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों को उधारकर्ताओं की ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों और भंडारों तक पूर्ण पहुंच प्रदान की जाएगी जो निरीक्षण अधिकारियों/नामितों द्वारा आवश्यक समझे जाएंगे। उधारकर्ता निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण करने वाले अधिकारियों/नामितों को सभी शिष्टाचार और सुविधाएं प्रदान करेगा और बोर्ड के अधिकारियों और/या नामांकित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण या व्याख्या प्रदान करेगा और साथ ही दस्तावेजों की/या उद्धरणों की फोटोकॉपी की अनुमति देगा।

12.2 बोर्ड, यदि आवश्यक समझे तो, परियोजना की भौतिक और वित्तीय निगरानी करने के लिए एक तृतीय पक्ष निरीक्षण और निगरानी एजेंसी नियुक्त करेगा। इस तरह के टीपीआई&एम काम पर होने वाली लागत कुल परियोजना लागत का एक अभिन्न हिस्सा होगी और उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि, यह परियोजना केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा समर्थित पीएसयू या किसी अन्य निकाय के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है जिसके पास टीपीआई&एम के लिए एक अच्छी तरह से विकसित संस्थागत प्रणाली है, तो बोर्ड एक अलग टीपीआई&एम एजेंसी को शामिल ना करने का अधिकार रखता है।

12.3 बोर्ड अपने और/या उसके नामांकित व्यक्तियों द्वारा ऐसी साइटों/कार्यों, खातों की पुस्तकों आदि के निरीक्षण के संबंध में किए गए सभी खर्चों को उधारकर्ता से पूरी तरह से वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13.0 रिपोर्ट

13.1 उधारकर्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से अपने कामकाज पर ऐसी रिपोर्टें भी प्रस्तुत करेगा, या तो सामान्य रूप से या इस ऋण के विशिष्ट संदर्भ में, जब भी एनसीआरपीबी द्वारा आवश्यक हो और समय-समय पर मांगी गई हो।

13.2 बोर्ड निरंतर आधार पर परियोजना / योजना की प्रगति की निगरानी करेगा। इस संबंध में :

क) उधारकर्ता इस ऋण के उपयोग और परियोजना/योजना की भौतिक प्रगति पर, मासिक या त्रैमासिक आधार पर (जैसा आवश्यक हो) बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट भौतिक रूप में या एनसीआरपीबी के सॉफ्टवेयर (पी-एमआईएस) पर अद्यतनीकरण द्वारा,

जैसा कि एनसीआरपीबी द्वारा तय किया गया हो, दिनांकित मोहर एवं परियोजना द्वारा हासिल किए गए मील के पत्थर की जियो-टैग की गई तस्वीर के साथ प्रस्तुत की जानी है ।

13.3 बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार परियोजना / योजना के पूरा होने (भौतिक और वित्तीय) के तीन महीने के भीतर उधारकर्ता परियोजना के सफल समापन पर अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ एक समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

13.4 यदि बोर्ड परियोजना / योजना की प्रगति या प्रदान की गई वित्तीय सहायता के उपयोग से संतुष्ट नहीं है, तो यह उपचारात्मक उपायों का सहारा ले सकता है जो आगे दिए गए डीफॉल्ट क्लॉज में उल्लेखित हैं।

14.0 चूक/ डीफॉल्ट

14.1 यदि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान या ऋण की पेंडेंसी के दौरान किसी भी समय बोर्ड इस निष्कर्ष पर आता है कि परियोजना / योजना के लिए उधारकर्ता द्वारा वितरित की गई राशि का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया है, या प्राप्त प्रगति के अनुसार इसका कार्यान्वयन अपर्याप्त है, या इस ऋण की कुछ शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, तो बोर्ड के पास उधारकर्ता को कोई भी कारण बताए बिना और किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी हुए बिना, किसी भी तरीके से उक्त ऋण और / या किश्तों के संवितरण को निलंबित करने, कम करने, रद्द करने, बदलने या देरी करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14.2 ऋण वापसी: यदि उधारकर्ता मूलधन या ब्याज के भुगतान या ऋण समझौते के तहत आवश्यक किसी अन्य भुगतान में चूक करता है, तो बोर्ड उधारकर्ता को और गारंटर को मूल राशि बकाया के लिए, ब्याज और अन्य प्रभारों के लिए नोटिस जारी कर सकता है। उधारकर्ता को उक्त नोटिस जारी करने की तारीख के 21 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। यदि बोर्ड को उधारकर्ता का जवाब योग्य नहीं लगता है, तो बोर्ड को एक पूर्ण और अंतिम भुगतान में देय मूलधन, ब्याज देय और अन्य शुल्कों को वापस लेने का अधिकार है। रिकॉल का निर्णय लेने की स्थिति में, उधारकर्ता रिकॉल के आदेश के 15 दिनों के भीतर उक्त पूर्ण और अंतिम भुगतान करके रिकॉल का अनुपालन करेगा। यदि उधारकर्ता आदेश के 15 दिनों के बाद भी पूर्ण और अंतिम भुगतान में देरी करता है, तो अंतिम भुगतान की तारीख तक वर्तमान ब्याज़ के साथ दंडात्मक ब्याज @ 2.75% प्रति वर्ष लागू होगा। इसके साथ बकाया राशि की वसूली, ब्याज देय और अन्य प्रभारों की गारंटी, संपत्ति और अन्य प्रतिभूतियों पर शुल्क लगाकर वसूली के संबंध में कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बोर्ड सुरक्षित रखता है।

15.0 ऋण का उपयोग और परियोजना का समापन

15.1 उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपकरण / सामग्री जिसके लिए बोर्ड से ऋण प्राप्त किया गया है, उसका उपयोग उल्लिखित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाए ।

15.2 उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना, मंजूरी की तारीख से ___ महीने तक यानी _____ के अंत तक, जैसा कि परिकल्पित है, और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पूरी हो जाए।

15.3 उधारकर्ता को परियोजना की अनुमानित लागत की कम से कम 25% राशि सीधे परियोजना स्तर पर अपने समकक्ष हिस्से के रूप में खर्च करनी होगी।

15.4 उधारकर्ता को ऋण की दूसरी या बाद की किस्त के लिए अनुरोध जमा करते समय परियोजना प्रगति रिपोर्ट और परियोजना स्थल की दिनांकित मुद्रांकित जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ ऋण की पिछली किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र, समय- विस्तार (यदि लागू हो) के साथ प्रस्तुत करना होगा।

15.5 उधारकर्ता को परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एनसीआरपीबी से लिए गए ऋण के लिए ऋण उपयोग के अंतिम प्रमाण पत्र (यूसी) के साथ विभाग के प्रमुख / सीईओ या इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा अधिकृत विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूर्णता रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप मे, परियोजना/योजनाओं के पूरा (भौतिक व वित्तीय) होने के तीन (3) महीनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

16.0 ऋण का आहरण:

16.1 ऋण किस्तों के आहरण के समय उधारकर्ता बोर्ड को व्यय विवरण (ईएसईडी) के साथ एक निष्पादन अनुसूची निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करेगा, जिसमें गतिविधियों / कार्यों के पूर्ण विवरणों को दर्शाया जाएगा जो कार्यवार लागत और प्रत्येक कार्य को पूरा करने की तिथि के साथ पूरा किया जाएगा जिसके लिए भुगतान आवश्यक हैं।

16.2 ऋण किश्तों में वितरित किया जाएगा। दूसरी या उसके बाद की किस्त एनसीआरपीबी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र और परियोजना स्थल की दिनांकित जियो-टैग फोटोग्राफ प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित ऋण आहरण के लिए उधारकर्ता को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

16.3 समय-समय पर संशोधित बोर्ड की संवितरण प्रक्रिया के अनुसार, परियोजना में योजना के अनुसार भूमि अधिग्रहण के पूरा होने के बाद ऋण का वितरण किया जाएगा।

16.4 बोर्ड किसी भी शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके लिए उधारकर्ता ज़िम्मेदार हो सकता है जैसे देरी से भुगतान के लिए, उपकरणों/सामग्री के संबंध में/आपूर्ति की गई या एजेंसियों (उधारकर्ता द्वारा नियुक्त) द्वारा निष्पादित सिविल/विद्युत कार्यों के संबंध में।

16.5 उधारकर्ता ऋण आहरण अनुसूची के अनुसार ऋण आहरित करेगा और ऋण की अंतिम तिथि _____ के अंत तक या किसी ऐसी अन्य तिथि पर होगी जिस पर बोर्ड द्वारा सहमति जताई गई हो।

17.0 उधारकर्ता से प्रतिबद्धता:

उधारकर्ता को एमओए के निष्पादन के समय अधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि:

i) उधारकर्ता बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी स्तर पर परियोजना को बेच/स्थानांतरित या छोड़ नहीं सकता।

ii) परियोजना या संपत्ति की बिक्री/हस्तांतरण/त्याग के मामले में, उधारकर्ता एनसीआरपीबी को बकाया ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान अन्य शुल्कों के साथ एक किश्त में, या एनसीआरपीबी और उधारकर्ता के बीच सहमति के अनुसार, इस तरह के स्थानांतरण प्रभावी होने से पहले, करेगा।

iii) उधारकर्ता उचित परिश्रम और दक्षता के साथ और अच्छे प्रशासनिक, वित्तीय, आर्थिक, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा उपायों और व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार पर्याप्त खातों और रिकॉर्ड के रखरखाव सहित परियोजना को संचालित और पूरा करेगा;

iv) ऋण की आय से वित्तपोषित की जाने वाली वस्तुओं, कार्यों और परामर्श सेवाओं का उपयोग विशेष रूप से परियोजना को पूरा करने में किया जाएगा;

v) उधारकर्ता एनसीआरपीबी द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरण और सामाजिक दिशानिर्देश के अनुपालन में परियोजना का संचालन करेगा;

vi) एनसीआरपीबी को परियोजना से संबंधित उधारकर्ता, परियोजना, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदार के रिकॉर्ड, दस्तावेजों और खातों की लेखा परीक्षा और जांच करने का अधिकार होगा;

vii) उधारकर्ता ऐसे जोखिमों के खिलाफ और अच्छी व्यावसायिक प्रथाओं के अनुरूप होने वाली राशि में जिम्मेदार बीमाकर्ताओं के साथ बीमा लेगा और बनाए रखेगा, और पूर्वगामी पर किसी भी सीमा के बिना, ऐसा बीमा अधिग्रहण, परिवहन और जोखिम की घटना को कवर करेगा। उपयोग या स्थापना के स्थान पर ऋण की आय से वित्तपोषित माल की डिलीवरी, और इस तरह के बीमा के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति ऐसी मुद्रा में देय होगी जो ऐसे सामानों को बदलने या मरम्मत करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य हो;

viii) एनसीआरपीबी ऋण, ऋण आय से वित्तपोषित वस्तुओं, कार्यों और परामर्श सेवाओं, परियोजना, उधारकर्ता और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित ऐसी सभी जानकारी प्राप्त करने का हकदार होगा; और; तथा

ix) एनसीआरपीबी उधारकर्ता के साथ अपने समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता पर उधारकर्ता की ऋण आय को निलंबित या समाप्त करने का हकदार होगा।

x) उधारकर्ता उप-परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उप-उधारकर्ता एनसीआरपीबी द्वारा आवश्यक होने पर, वित्तपोषण के अनुरोध के साथ खरीद योजना और कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रस्तुत करें।

xi) उधारकर्ता पर्याप्त वार्षिक बजट आवंटन करेगा और उप-परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए, ऋण आय के अलावा, प्रतिपक्ष निधि और अन्य संसाधनों को समय पर जारी करेगा, जैसा आवश्यक या अपेक्षित होगा;

xii) उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि परिसंपत्तियों के उचित संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बजट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं और संचालन और रखरखाव के आउटसोर्सिंग की संभावनाओं को भी पहले विकल्प के रूप में तलाशा जाएगा;

18.0 विविध प्रावधान:

18.1 उधारकर्ता ऋण के भुगतान और अन्य शुल्कों के साथ-साथ परियोजना / योजना से संबंधित रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में बोर्ड के सभी निर्देशों / सिफारिशों का पालन करने और उन्हें करने के लिए बाध्य होगा।

18.2 उक्त ऋण ऐसे अन्य सभी नियम और शर्तों के अधीन होगा, जो कि बोर्ड के साथ उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले समझौते के रूप में हो।

18.3 ऋणदाता ऋण की मुद्रा के दौरान और परियोजना के कार्यान्वयन में ऐसे सभी आवेगों, कर्तव्यों और करों या किसी अन्य शुल्क के रूप में सरकार /सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर परियोजना या योजना के संबंध में लगाए जाने वाले शुल्क को वहन करेगा ।

18.4 उधारकर्ता को प्रदूषण मंजूरी और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अन्य मंजूरी सहित सभी आवश्यक वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

18.5 उधारकर्ता को योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त की व्यवस्था हेतु आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।

*****